रजिस्ट्री सं. डी.एल.-33004/94 REGD. NO. D.L.-33004/94

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 225] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मई 26, 1994/ज्येष्ठ 5, 1916
No. 225] NEW DELHI, THURSDAY, MAY 26, 1994/JYAISTHA 5, 1916

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

नई दिल्ली, 20 मई, 1994

सा.का.नि. 476 (अ)—अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 (1987 की संख्या 52) की धारा 23 के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 10 के द्वारा खंड (जे) और खंड (ओ) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों के अनुसार परिषद एतद्द्वारा शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्कों के लेने हेतु तथा व्यवसायिक कालेजों में छात्रों के प्रवेश संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत और मानक निर्धारण करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाती है—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन विनियमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद (शुल्क संबंधी मानक और मार्गदर्शी सिद्धांत तथा व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांत) विनियम, 1994 कहा जाए।

2. सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से ये लागू होंगे।

2. अनुप्रयोग : ये विनियम इंजीनियरी, प्रौद्योगिकी, वास्तुकला, नगर आयोजन, प्रबंध विज्ञान, भेषजी, इलैक्ट्रानिकी, कम्प्यूटर विज्ञान, अनुप्रयुक्त कलाओं और शिल्पों में प्रदान कर रहे डिप्लोमा, डिग्री या समकक्ष पाठ्यक्रमों के व्यावसायिक कालेज पर या ऐसे अन्य कार्यक्रमों या क्षेत्रों पर लागू होंगे जिन्हें केन्द्रीय सरकार, परिषद से परामर्श करके सरकार के राजपत्र द्वारा घोषित करे; लेकिन ये विनियम विश्वविद्यालयों, विश्वविद्यालय विभागों या कालेजों, राजकीय कालेजों, केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के सहायता प्राप्त कालेज, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रबंध विज्ञान संस्थान, क्षेत्रीय इंजीनियरी कालेज और ऐसे तकनीकी संस्थानों जो केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार, परिषद या फिर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूर्ण रूप से सहायता प्राप्त हों, पर लागू नहीं होंगे और न ही प्रबंध विज्ञान विषय को छोड़कर किसी पूर्णकालिक या अंशकालिक स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों पर।

3. परिभाषाएं : इन विनियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,

(क) "अधिनियम" का अर्थ अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद नियम, 1987 (1987 की संख्या 52);

(ख) "सक्षम प्राधिकारी" का अर्थ है सरकार या विश्वविद्यालय या कोई अन्य प्राधिकारी जो सरकार या विश्वविद्यालय या कानून द्वारा राज्य या संघशासित राज्य में विभिन्न व्यावसायिक कालेजों में प्रवेश के लिये छात्रों के आबंटन के लिये नियुक्त हो।

(ग) "परिषद" का अर्थ है अधिनियम की धारा 3 के तहत स्थापित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद।

(घ) "शुल्क", निःशुल्क और सशुल्क जगहों के संदर्भ में, का अर्थ है सभी संस्थागत शुल्क और इनमें शिक्षा शुल्क शामिल हैं।

(ङ) "निःशुल्क जगहों" का अर्थ है वे जगहें जिनके लिए देय शुल्क संबद्ध सरकार के राजकीय संस्थान में निर्धारित शुल्क के अनुरूप हो।

(च) "सशुल्क जगहों" का अर्थ है वे जगहें जिन पर देय शुल्क निःशुल्क जगहों के मुकाबले काफी ज्यादा होगा।

(छ) "व्यावसायिक कालेज" का अर्थ है कोई भी गैर-सहायता प्राप्त तकनीकी शिक्षा प्रदान करने वाला कालेज और इसमें प्राइवेट तकनीकी संस्थान शामिल है।

4. व्यावसायिक कालेज की स्थापना के लिए शर्त :

(1) इन विनियमों के शुरू हो जाने पर किसी भी व्यक्ति, फर्म, कंपनी या व्यक्तियों की किसी संस्था को, जिस किसी नाम से भी यह पुकारी जाए, व्यावसायिक कालेज की स्थापना की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) सोसाइटीज पंजीकरण अधिनियम, 1860 (1860 की संख्या 21), न्यास अधिनियम, 1882 (1882 की संख्या 2), वक्फ अधिनियम, 1954 (1954 की संख्या 29) या राज्य में चल रहे समकक्ष कानून के तहत परिषद किसी पंजीकृत सोसायटी के द्वारा किसी व्यावसायिक कालेज की स्थापना या प्रशासन के लिये अनुमोदन प्रदान करेगी।

(3) यदि कोई व्यावसायिक कालेज 31 मार्च, 1995 को या उससे पहले इन विनियम के अनुरूप शर्तें पूरी नहीं करता है तो परिषद, जैसी भी स्थिति हो, इन विनियमों के लागू होने से पहले स्थापित कालेज का पंजीकरण रद्द कर देगी या फिर उस कालेज को दिया गया अनुमोदन वापस ले लेगी।

(4) परिषद की अनुमति के बिना कोई भी व्यावसायिक कालेज स्थापित नहीं किया जाएगा और न ही कोई नया तकनीकी शिक्षा पाठ्यक्रम या कार्यक्रम शुरू किया जाएगा।

5. प्रवेश.—(1) परिषद् द्वारा व्यावसायिक कालेज में प्रवेश के लिए जगहों की संख्या निर्धारित की जाएगी और परिषद् के अनुमोदन मिल जाने के बाद ही प्रवेशार्थियों की संख्या बदली जा सकेगी।

(2) इस अधिनियम और विनियमों के उल्लंघन में शुरू किए गए या स्थापित व्यावसायिक कालेज या किसी पाठ्यक्रम में शिक्षा वर्ष 1994 से सक्षम प्राधिकारी प्रवेश नहीं करेंगे।

(3) पाठ्यक्रम या कार्यक्रम में प्रवेशार्थियों की संख्या उस संख्या तक सीमित रहेगी जिसे या तो परिषद् निश्चित कर चुकी है या इस अधिनियम के बनने से पहले थी और परिषद् की अनुमति के बिना बढ़ाई गई जगहों पर प्रवेश नहीं किया जाएगा।

(4) शिक्षा वर्ष 1994 से सक्षम प्राधिकारियों द्वारा अननुमोदित या अमान्यताप्राप्त व्यावसायिक कालेजों में कोई प्रवेश नहीं किए जाएंगे।

6. परीक्षा.—कोई भी विश्वविद्यालय, बोर्ड या सरकार द्वारा स्थापित कोई अन्य संस्थान अमान्यताप्राप्त या अननुमोदित व्यावसायिक कालेज में प्रविष्ट छात्र की न तो परीक्षा लेगा या परीक्षा के लिए प्रेरित करेगा।

7. शुल्क.—(1) व्यावसायिक कालेज के लिए शिक्षा शुल्क या अन्य शुल्क राज्य स्तर समिति द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

(2) परिषद् व्यावसायिक कालेज या व्यावसायिक कालेजों के वर्ग द्वारा, जैसी भी स्थिति हो, पृथक् पाठ्यक्रमों के लिए शुल्कों के दिए जाने हेतु उच्चतम सीमा निर्धारण के लिए प्रत्येक राज्य के वास्ते एक स्थायी समिति गठित करेगी। स्थायी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(अ) राज्य में विश्वविद्यालय का कुलपति जो राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

(आ) संबंधित राज्य के तकनीकी शिक्षा विभाग और वित्त विभाग के सचिव पदेन।

(इ) संस्थागत वित्त की पृष्ठभूमि के साथ लागत लेखाशास्त्र के दो अर्थशास्त्री या विशेषज्ञ जो परिषद द्वारा नामित किए जाएंगे।

(ई) संबंधित राज्य के संयुक्त सचिव या निदेशक से कम पद न रखने वाला सदस्य-सचिव जो राज्य सरकार द्वारा नामित किया जाएगा।

(3) खंड (अ), (इ) और (ई) में उल्लिखित सदस्य अपनी नामांकन की तिथि से तीन वर्ष तक कार्य करेंगे।

(4) समिति व्यावसायिक कालेजों को ऐसी सामग्री प्रस्तुत करने के लिए अवसर प्रदान करेगी जिसे वे शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्कों के लिए संगत समझते हैं। शुल्क हर

तीन वर्षों के बाद एक बार निर्धारित किए जाएंगे या फिर ऐसे दीर्घकालिक अंतरालों के बाद जैसा कि समिति उचित समझे।

(5) किसी व्यावसायिक कालेज के कुशलतापूर्वक कार्य करने के अनुमानित खर्च के आधार पर व्यावसायिक कालेजों को दिए जाने वाले शुल्क निर्धारित किए जाएंगे। किसी व्यावसायिक कालेज द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शिक्षाशुल्क और अन्य शुल्कों के निर्धारण में समिति इन विनियमों के संलग्नक में विनिर्दिष्ट मदों को ध्यान में रखेगी। समिति अपने विवेक से पूंजी निवेश से प्राप्त की जाने वाली राशि को ध्यान में रखेगी और तदनुसार शुल्क निर्धारण करेगी। शुल्कों का हिसाब लगाते समय आवर्ती खर्च के अनुमान कम-से-कम गत दो वर्षों के कालेज के आवर्ती व्यय के लेखा-परीक्षित आंकड़ों तथा आगामी तीन वर्षों की आवश्यकता पर आधारित होंगे।

(6) समिति द्वारा निःशुल्क या सशुल्क जगह के लिए निर्धारित शुल्क के अलावा, कोई भी व्यावसायिक कालेज छात्र से किसी अन्य प्रकार की अदायगी या राशि, किसी भी नाम के तहत नहीं लेगा।

(7) व्यावसायिक कालेज शिक्षा वर्ष में किए जाने वाले प्रवेशों से संबंधित पूर्ण पाठ्यक्रम में प्राप्त किए जाने वाले शुल्कों की सूचना सक्षम प्राधिकारी को अग्रिम रूप से प्रेरित करेगा। सारे शुल्कों को कुल वर्षों में विभक्त किया जाएगा या फिर पाठ्यक्रम संबंधी अध्ययन के सेमिस्टरों में। प्रथमतः पहले वर्ष या सेमिस्टर के लिए ही शुल्क एकत्र किए जाएंगे। स्थायी समिति द्वारा निर्धारित उच्चतम सीमा के अनुसार ही व्यावसायिक शुल्क प्राप्त करेगा।

8. जगहों के आबंटन की प्रक्रिया.—(1) कोई भी व्यावसायिक कालेज अलग से या पृथक रूप से प्रवेश के लिए आवेदन पत्र नहीं आमंत्रित करेगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा ऐसे कालेज में उपलब्ध जगहों में प्रवेश हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। प्रवेश के लिए आवेदन पत्रों के फार्म सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रेषित किए जाएंगे, जिनमें एक स्तंभ होगा जिसमें आवेदक को लिखना होगा कि वह निःशुल्क जगह या सशुल्क जगह पर प्रवेश चाहता है या दोनों और गुणक्रम और यह तीन व्यावसायिक कालेजों के लिए होगा।

(2) सक्षम प्राधिकारी एक ब्रोशर जारी करेगा जिसमें प्रवेश हेतु एक आवेदनपत्र फार्म होगा। ब्रोशर में पाठ्यक्रमों का पूर्ण विवरण होगा और उपलब्ध जगहों की संख्या, कालेजों के नाम, उनके स्थान, प्रत्येक व्यावसायिक कालेज द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शुल्क, न्यूनतम योग्यता शर्तों और अन्य तत्संबंधी विवरण जिन्हें सक्षम प्राधिकारी उचित समझें।

(3) वास्तुविद् अधिनियम, 1972 (1972 की संख्या 20) के तहत गठित वास्तुकला परिषद अखिल भारतीय स्तर पर अभिरुचि परीक्षा सहित एक व्यापक प्रवेश परीक्षा प्रतिपादित करेगी।

(4) व्यावसायिक कालेज या व्यावसायिक कालेजों का समूह जैसा निश्चित करे प्रबंध पाठ्यक्रमों में प्रवेश अभिरुचि परीक्षा सहित प्रवेश परीक्षा पर आधारित होंगे या व्यावसायिक कालेज या व्यावसायिक कालेजों के समूह द्वारा संचालित साक्षात्कार द्वारा।

(5) हर व्यावसायिक कालेज, पाठ्यक्रम या कार्यक्रम की पचास प्रतिशत जगहें "निःशुल्क जगहें" अंकित की जाएंगी। नामित किए गए छात्र विनियम के उप-विनियम (7) के अनुरूप निर्धारित गुणक्रम के आधार पर चुने जाएंगे। शेष पचास प्रतिशत जगहें "सशुल्क जगहें" होंगी और उन उम्मीदवारों से भरी जाएंगी। जो स्थायी समिति द्वारा निर्धारित शुल्क देने के लिए तैयार हैं। सशुल्क जगहों में छात्रों का आबंटन उसी तरह परस्पर गुणक्रम आधार पर किया जाएगा जैसाकि निःशुल्क जगहों पर किया जाएगा।

(6) विनियम (10) में अन्यथा प्रावधान को छोड़कर कोई प्रबंधन कोटा या किसी अन्य प्रकार का कोटा न तो तो निःशुल्क जगहों या सशुल्क जगहों के लिए होगा।

(7) उपविनियम (5) के प्रावधानों के अनुसार सभी छात्रों में से एक समान गुणक्रम सूची तैयार की जाएगी; बशर्ते कि उन राज्यों में जहां कोई प्रवेश परीक्षा वर्तमान में नहीं की जा रही है, शिक्षा वर्ष 1995 से प्रवेशों के लिए एक समान प्रवेश परीक्षा ली जाएगी।

(8) पात्रता मानदंड और अन्य शर्तें निःशुल्क जगहों और सशुल्क जगहों के लिए समान रहेंगी, केवल अंतर यह है कि सशुल्क जगहों के लिए उच्चतर शुल्क देना होगा। व्यावसायिक कालेज का प्रबंधन न तो निःशुल्क जगहों या सशुल्क जगहों में प्रवेश के लिए कोई अन्य पात्रता मानदंड या शर्तें थोपने का पात्र होगा।

(9) सक्षम प्राधिकारी इन विनियमों के अनुसार निःशुल्क जगहों और सशुल्क जगहों के दोनों लिए हर वर्ष आवेदन पत्र आमंत्रित करने, परीक्षा संचालन, यदि कोई हो, गुणक्रम सूची बनाने, परिणाम प्रकाशन, विभिन्न पाठ्यक्रमों और संस्थाओं में छात्रों के आवंटन संबंधी एक विस्तृत विवरण तैयार करेगा और इसी विवरण के अनुसार कार्य करेगा।

(10) प्रवेश के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा जगहों के आवंटन की अंतिम तिथि निश्चित की जाएगी और अंतिम तिथि के बाद कोई आवंटन नहीं किया जाएगा। जगहों का आवंटन हो जाने के बाद आकस्मिक रिक्तियों या विरत छात्रों की रिक्तियों को भरने के लिए प्रतीक्षा सूची का अनुसरण किया जाएगा। सक्षम प्राधिकारी द्वारा निश्चित तिथि तक ही रिक्तियां भरी जाएंगी। सक्षम प्राधिकारी अपनी इच्छानुसार किसी उम्मीदवार को उसके विकल्पों की परवाह न करते हुए और उसके गुणक्रम के आधार पर किसी व्यावसायिक कालेज में जगह दे सकेगा। एक बार जब जगहों के आवंटन की अंतिम तिथि समाप्त हो जाती है, उपविनियम (7) के तहत सूची में सम्मिलित उम्मीदवारों में प्रबंधन बची हुई रिक्तियों को भर सकेगा।

(11) उन तकनीकी संस्थानों के संबंध में जो राज्य के बाहर किसी संस्था से संबद्ध हैं, ऐसे संस्थानों की जगहें राज्य में उपलब्ध जगहों में सम्मिलित की जाएंगी जिसमें संस्थान वास्तविक रूप में स्थित हैं और इस विनियम के अधीन विशेषीकृत प्रक्रिया के अनुसार राज्य के सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रवेश किए जाएंगे ।

(12) निश्चित प्रवेशार्थी संख्या के अलावा हर व्यावसायिक कालेज के हर पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के लिए एक निःशुल्क जगह और एक सशुल्क जगह अलग से होगी और इन जगहों को हिताधिकारी राज्यों के नामित व्यक्तियों से भरा जाएगा जिन्हें केंद्रीय सरकार ये जगहें आबंटित करे । हिताधिकारी राज्य इस प्रयोजन के लिए तैयार गुणक्रम सूची में से गुणक्रम आधार का कड़ाई से पालन करते हुए छात्रों को नामित करेंगे ।

(13) हर वर्ष शिक्षा वर्ष में प्रवेश हेतु हर वर्ष के दिसम्बर मास में परिषद् राज्य के सक्षम प्राधिकारी को अनुमोदित व्यावसायिक कालेजों के नाम, पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों के नाम तथा हर पाठ्यक्रम या कार्यक्रम के लिए परिषद् द्वारा निर्धारित जगहों की संख्या सूचित करेगी । उसी आधार पर प्रवेशों के लिए सक्षम प्राधिकारी व्यावसायिक कालेजों और पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों संबंधी जगहों के लिए आवेदन पत्र आमंत्रित करेगा ।

9. आरक्षण :

(1) व्यावसायिक कालेज अपनी इच्छानुसार केंद्रीय सरकार या फिर राज्य सरकार के नियमों के अनुसार सोसायटी के कमजोर वर्ग के उम्मीदवारों के लिए जगहों के आरक्षण की व्यवस्था करेगा ।

(2) आरक्षित जगहों पर प्रवेश गुणक्रम के आधार पर होगा ।

10. अल्पसंख्यक शैक्षिक संस्थान :

(1) 1994-95 शिक्षा वर्ष में अल्पसंख्यक शैक्षिक तकनीकी संस्थान में कुल प्रवेश संख्या की पचास प्रतिशत जगहें सक्षम प्राधिकारी द्वारा उम्मीदवारों की बनाई गई एक समान गुणक्रम सूची में से चुने जाएंगे । गुणक्रम के आधार पर समान अनुपात में निःशुल्क जगहों और सशुल्क जगहों के लिए उम्मीदवार लिए जाएंगे । शेष पचास प्रतिशत जगहें गुणक्रम के आधार पर अल्पसंख्यक समुदाय से संबंधित उम्मीदवारों से अल्पसंख्यक तकनीकी संस्थान के प्रबंधन द्वारा भरी जाएंगी ।

(2) उपविनियम (1) के तहत अल्पसंख्यक तकनीकी संस्थानों द्वारा भरी जाने वाली पचास प्रतिशत जगहें निःशुल्क और सशुल्क जगहों में बराबर-बराबर वितरित होंगी ।

(3) प्रवेश-कार्य पूरा हो जाने के उपरांत, प्रत्येक अल्पसंख्यक तकनीकी संस्थान इस विनियम के तहत छात्रों के पूरे ब्यौरे का विवरण सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा । और सक्षम प्राधिकारी विवरणों की शुद्धता सत्यापित करेगा और यदि कोई अनियमितता पाई जाती है तो वह उस संस्थान को ठीक करने के लिए कहेगा ।

(4) सक्षम प्राधिकारी इस उद्देश्य को सत्यापित करेगा कि अल्पसंख्यक तकनीकी संस्थान उत्कृष्ट शिक्षा को बढ़ावा देने के साथ-साथ सामान्य तटस्थ शिक्षा की पूर्ति में प्रतिबद्ध है ।

11. छूट और रियायतें : इन विनियमों के कार्यान्वयन में उठे किसी भी प्रकार के संदेह के निवारण में परिषद् को स्पष्टीकरण जारी करने की शक्ति रहेगी ।

12. सूचना का भेजना : हर वर्ष की 31 दिसम्बर से पहले सक्षम प्राधिकारी परिषद् को सूचना या फिर प्रवेश-मामलों और शुल्क-उगाही की विवरणिकाएं भेजेगा ।

13. अनुमोदन का वापस लेना : यदि कोई व्यावसायिक कालेज इन विनियमों के अनुबंधों का उल्लंघन करता है तो परिषद् यथोचित जांच करके और व्यावसायिक कालेज को सुनने का मौका देकर अपना अनुमोदन वापस ले सकती है ।

[सं. एफ. 1-3/बी बी आई/सी सी एफ/जी पी/94/बी एच-104]
वाई एन. चतुर्वेदी, सदस्य सचिव,
अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद

संलग्नक

[कृपया देखिए विनियम 7 (5)]

किसी व्यावसायिक कालेज द्वारा प्राप्त किए जाने वाले शिक्षा शुल्क और अन्य शुल्कों के निर्धारण संबंधी ध्यान-योग्य मदें ।

1. वेतन, जिनमें महंगाई भत्ता और अन्य भत्ते सम्मिलित हैं, और शिक्षण स्टाफ के सदस्यों के अन्य लाभ, कार्यशालाएं और प्रयोगशालाएं, कम्प्यूटर केंद्र, पुस्तकालय, उपस्करों, भवनों और सुविधाओं का रखरखाव, प्रशासन, औषधालय आदि ।

2. विजिटिंग शिक्षण संकाय को भुगतान ।

3. प्रशिक्षण लागत, जिसमें उन मदों का खर्च शामिल है जैसे कच्चा माल और कार्यशालाओं तथा प्रयोगशालाओं के लिए उपभोज्य, क्षेत्र, शैक्षिक और औद्योगिक यात्राओं पर व्यय, अनुदेशी प्रयोजन के लिए छात्रों को दिए जाने वाले हैंड-आउट्स और गेस्ट लैक्चरों पर व्यय ।

4. आकस्मिक व्यय, जिसमें कार्यालय लेखन-सामग्री का खर्चा, डाक-व्यय, तार, टेलीफोन, विज्ञापन, विद्युत और जल, स्वास्थ्य, खेल और सांस्कृतिक गतिविधियों का खर्चा शामिल है, वाहनों, दैनिक मजदूरों, प्रबंध और अन्य समितियों की बैठकों का खर्चा ।

5. भवनों, परिसर, उपस्कर, फर्नीचर और वाहनों के रख-रखाव का खर्चा।

6. पुस्तकों को ग्रहण करने का पुस्तकालय व्यय : श्रव्य-दृश्य और मुद्रण सामग्री और पत्रिकाओं का चंदा।

7. उपकरणों और उपस्करों, कारों और बसों आदि का प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण तथा और लिया जाना।

ALL INDIA COUNCIL FOR TECHNICAL EDUCATION

New Delhi, the 20th May, 1994

G.S.R. 476(E).—In exercise of the powers conferred by clause (j) and clause (o) of section 10 read with section 23 of the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987), the Council hereby makes the following regulations fixing norms and guidelines for charging tuition fee and other fees, and providing guidelines for admission of students to professional colleges, namely :—

1. Short title and commencement :—(1) These regulations may be called the All India Council for Technical Education (norms and guidelines for fees and guidelines for admissions in professional colleges) Regulations, 1994.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. Application.—These regulations shall apply to a professional college imparting diploma, degree or equivalent courses in engineering, technology, architecture, town planning, management, pharmacy, electronics, computer science, applied arts and crafts and such other programmes or areas as the Central Government may, in consultation with the Council, by notification in the Official Gazette, declare; but shall not apply to Universities, University departments or colleges, government colleges, aided colleges of the Central Government or State Government, Indian Institutes of Technology, Indian Institutes of Management, Regional Engineering Colleges, and such technical institutes which are fully funded by the Central Government, a State Government, the Council, or as the case may be, the University Grants Commission and any full or part-time post graduate courses or programmes in any discipline other than management.

3. Definitions.—In these regulations, unless the contest otherwise requires,

(a) "Act" means the All India Council for Technical Education Act, 1987 (52 of 1987);

(b) "competent authority" means a Government or a University or any other authority as may be designated by the Government or the university or by law to allot students for admissions to various professional colleges

(c) "Council" means the All India Council for Technical Education established under section 3 of the Act;

(d) "fees" in relation to free seats and payment seats, means all the institutional fees and includes tuition fee.

(e) "free seats" means the seats on which the fees payable is same as prescribed for the Government Institution in the concerned State;

(f) "payment seats" means the seats on which the fees payable shall be substantially higher than for fee seats;

(g) "professional college" means any private unaided college imparting technical education and includes a private unaided technical institution.

4. Condition for establishment of a professional college :—(1) No individual, firm, company or other body of individuals with whatever name called, shall, on and from the commencement of these regulations, be permitted to establish a professional college.

(2) The Council shall grant approval for establishment or administration of a professional college only by a society registered under the Societies Registration Act, 1860 (21 of 1860), the Trusts Act, 1882 (2 of 1882), the Wakf Act, 1954 (29 of 1954), or under a corresponding law, if any, in force in a State.

(3) The Council shall cancel the registration of, or as the case may be, withdraw the approval granted to, a professional college established before the commencement of these regulations, if that college does not conform to the conditions stipulated under this regulation on or before the 31st day of March 1995.

(4) No professional college shall be established or a new technical education course or programme started without the approval of the Council.

5. Admission :—(1) The number of seats for admission available in a professional college shall be fixed by the Council and no professional college shall be permitted to change the intake capacity except by the approval granted by the Council.

(2) The competent authority shall not make admissions, from the academic year, 1994, to a course or a professional college which has been started or established in violation of the Act and these regulations.

(3) Admission to a course or programme shall be limited to the number of seats which are either fixed by the Council or the number of seats that existed before the enactment of the Act and no admission shall be made for the seats which have been enhanced, without the approval of the Council.

(4) No admission shall be made by the competent authorities in unapproved or unrecognised professional colleges, from the academic year, 1994;

6. Examination :—No University, Board or any other body constituted by a Government shall examine or cause to examine any student admitted to an unrecognised or unapproved professional college.

7. Fee :—(1) Tuition and other fees for a professional college shall be determined by a State Level Committee.

(2) The Council shall constitute a standing Committee for each State to fix ceiling on the fees chargeable for individual courses by a professional college or class of professional colleges, as the case may be. The Standing Committee shall consist of the following members namely :—

(i) Vice-Chancellor of a University in a State, to be nominated by the State Government;

(ii) Secretaries, Department of Technical Education and Department of Finance of the respective State, ex-officio;

(iii) two economists or experts in cost accountancy with background of Institutional financing, to be nominated by the Council;

(iv) Member-Secretary not below the rank of Joint Secretary or Director of the respective State Government, to be nominated by the State Government.

(3) The members referred to in clauses (i), (iii) and (iv) shall hold Office for a period of three years from the date of their nomination.

(4) The Committee shall give an opportunity to the professional colleges to place such material, as they think relevant in determining the tuition fee and other fees. The fees shall be fixed once in every three years or at such longer intervals, as the Committee may think appropriate.

(5) The fees chargeable in professional colleges shall be determined on the basis of estimation of expenditure of the professional college for its efficient functioning. The Committee shall take the items specified in the Annexure to these regulations, into account while determining the tuition fee and other fees to be charged by a professional college. The Committee may in its discretion take into consideration a reasonable return on Capital investment with reference to the investment made and determine the fees accordingly. While calculating the fees, the estimates of recurring expenditure shall be based on atleast the last two years audited figures of recurring expenditure of the college and projected requirement for next three years.

(6) No professional college shall be entitled to receive from the student any other payment or amount, by whatever name it may be called, in addition to the fee fixed by the Committee for a free seat or payment seat.

(7) A professional college shall send intimation to the competent authority in advance the fees chargeable for the entire course commencing from the academic year for which admissions shall be made. The total fees shall be divided into the number of years, or as the case may be, the number of semesters of study for a course. In the first instance, fees only for the first year or semester shall be collected. The fee chargeable by a Professional College shall be subject to the ceiling fixed by the Standing Committee.

8. Procedure for allotment of seats.—(1) No Professional college shall call for applications for admission separately or individually. All applications for admissions to all the seats available in such college shall be called for by the competent authority. The application forms for admission shall be issued by the competent authority which shall contain a column wherein an applicant shall indicate whether he or she wishes to be admitted against a free seat or a payment seat, or both and the order of preference, upto three professional colleges.

(2) The competent authority shall issue a brochure containing therein an application form for admission. The brochure shall contain full particulars of the courses and the number of seats available, the names of the colleges, their location, the fees chargeable by each professional college, the minimum eligibility conditions and such other particulars as may be deemed necessary by the competent authority.

(3) The Council of Architecture constituted under section 3 of the Architects Act, 1972 (20 of 1972), shall formulate a comprehensive entrance test including aptitude test on an all India basis.

(4) The admissions to management courses shall be on the basis of an entrance test including aptitude test or interview to be conducted by a professional college or for a group of professional colleges as the professional college or the group of professional colleges may determine.

(5) Fifty percent of the seats in every professional college, course or programme shall be earmarked as 'free seats'. The students to be nominated shall be selected on the basis of merit determined in accordance with sub-regulation (7) of regulation 8. The remaining fifty percent seats shall be payment seats and shall be filled by those candidates who are prepared to pay the fee fixed by the Standing Committee. The allotment of students against payment seat shall be done on the basis of inter-se merit determined on the same basis as in the case of free seats.

(6) There shall be no management quota or any other quota whatsoever either free seats or payment seats, except as otherwise provided in regulations(10).

(7) A common merit list, in accordance with the provisions of sub-regulation (5) shall be prepared from amongst all the candidates provided that in States where no such entrance examination is presently being held, a common entrance examination shall be held for admissions to be made from the academic year 1995.

(8) The criteria of eligibility and other conditions shall be the same in respect of both free seats and payment seats except the higher fee to be paid for payment seats. The management of a professional

college shall not be entitled to impose any other eligibility criteria or conditions for admission either to free seats or to payment seats.

(9) The competent authority shall prepare a detailed schedule every year relating to inviting of applications, conducting of examination, if any, drawing up of merit order, publication of results, allotment of students to various courses and institutions, both for free seats and payment seats, in accordance with these regulations and shall act in accordance with such schedule.

(10) A last date for allotment of seats shall be fixed by the competent authority, while inviting applications for admission, and no allotment shall be made after the last date so fixed. After making the allotments of seats the waiting list shall be followed for filling up for any casual vacancies or drop-out vacancies arising after the allotments are finalised. The vacancies shall be filled until such date as may be fixed by the competent authority. It shall be open to the competent authority to offer any professional college or seat to the candidate other than his options and as per his merit. Once the last date of allotment of seats is over, the vacancies still remaining may be filled by the management out of the candidates included in the list under sub-regulation (7).

(11) In case of technical institutions which are affiliated to an out-of-State affiliating body, the seats in such institutions shall be included in the seats available in the State in which the institutions is actually located, and admissions shall be made by the competent authority of that State in accordance with the procedure specialized under this regulation.

(12) Each professional college shall set aside one free seat and one payment seat over and above the fixed intake capacity for each course or programme and shall fill up such seats with the nominees of the beneficiary States to whom the seats may be allotted by the Central Government. The beneficiary States shall nominate students strictly on merit basis from the merit list prepared by them for this purpose.

(13) Every year in the Month of December, the Council shall communicate to the competent authority for each State the name of approved professional colleges, the names of the courses or programmes and number of seats for each course or programme fixed by the Council for making admissions for every academic year. There upon the competent authority shall proceed with inviting of applications for such professional colleges and number of seats for the courses or programmes only and for making admissions thereto.

9. Reservations.—(1) It shall be open to a professional college to provide for reservation of seats for candidates belonging to weaker section of society in accordance with the rules of the Central Government or the State Government as the case may be.

(2) Admission to reserved seats shall be made on the basis of merit.

10. Minority Educational Institution.—(1) In the shall be filled up by candidates selected by the competent authority on the basis of the common merit list. The candidates selected shall be distributed equally in free seats as well as in payment seats in the order of merit. The remaining fifty per cent shall be filled up by the management of such minority technical institution from the candidates belonging to the minority community on the basis of merit.

(2) Fifty per cent of seats permitted to be filled by the minority and technical institutions under sub-regulation (1) shall be equally distributed between free and payment seats.

(3) After completion of admissions, each minority technical institutions shall submit to the competent authority the statements containing full particulars of students admitted under this regulation. The competent authority shall verify the correctness of the statements and if any irregularity is noticed it shall call upon the such institution to rectify the same.

(4) The competent authority shall conduct the verification keeping in view of the objective that the minority technical institutions are equally committed to promote excellence of the institutions as a vehicle of general secular education.

11. Exemptions and Relaxations.—The Council shall have the power to issue clarification to remove any doubt which arise in regard to implementation of these regulations.

12. Furnishing of information.—The competent authority shall furnish information or returns in the matters of admission and levying of fees to the Council before the 31st December of every year.

13. Withdrawal of approval.—If a professional college contravenes any of the provisions of these regulations, the Council may withdraw its approval after making such enquiry as it may consider appropriate and after giving the professional college an opportunity of being heard.

[No. F. 1-3|BVI|CCF|PP|94|B.H.-104]

Y. N. CHATURVEDI, Member-Secretary,
All India Council for Technical Education,
New Delhi

[See Regulation 7(5)]

ANNEXURE

ITEMS TO BE TAKEN INTO ACCOUNT FOR DETERMINING THE TUITION FEE AND OTHER FEES TO BE CHARGED BY A PROFESSIONAL COLLEGE.

1. Salaries including dearness allowance and other allowances and benefits of members of staff of teaching, workshops and laboratories, computer centre, library

2. Payments to the visiting teaching faculty.

3. Training cost to include expenditure on such items as raw materials and consumables for workshops and laboratories, expenditure on field trips, educational tours and industrial visits, expenditure on hand-outs to the students for instructional purpose and, guest lectures.

4. Contingent expenditure including cost of office stationery, postage, telegrams, telephones, advertisements, electricity and water, health care, sports and cultural activities, expenditure on vehicles, daily wage labourers, meeting of the Managing and other Committees.

5. Expenditure on maintenance of buildings, campus, equipment, furniture and vehicles.

6. Library expenditure for acquisition of books, audio video and print material and subscription to journals.

7. Replacement, modernisation and addition of instruments and equipments, cars and buses, etc.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Maya Puri, New Delhi-110064